रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2010/माघ 9, 1931
No. 183] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2010/MAGHA 9, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2010

का. आ. 223(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के 30.00 कि.मी. से 86.500 कि. मी. तक के भू-खण्ड (बहादुरगढ़-रोहतक सेक्शन) के बाइपास सहित निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, रोहतक को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के 30.00 कि.मी. से 86.500 कि.मी. तक (बहादुरगढ़–रोहतक खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रोहतक	रोहतक	(1) माली आनन्दपुर	**23//**			
				3	निजी	सिंचित	0.0025
				8	निजी	सिंचित	0.0101
				24//			
				4	निजी	सिंचित	0.0228
				16	निजी	सिंचित	0.1272
				44//			
				18	निजी	सिंचित	0.0076
				60//			
				15/2	निजी	सिंचित	0.1822
				90//			
				15/2	निजी	सिंचित	0.0633
				16/1	निजी	सिंचित	0.1720
				16/2	निजी	सिंचित	0.0228
				92//	निजी	सिंचित	
				5	निजी	सिंचित	0.0455
				गांव का कुल योग			**0.6433**
			(2) बहू अकबरपुर	**94//**			
				9/3	निजी	सिंचित	0.0177
				10/1	निजी	सिंचित	0.0101
				11/1/2	निजी	सिंचित	0.0354
				20/1/2	निजी	सिंचित	0.0961
				20/2/2	निजी	सिंचित	0.0936
				21/1	निजी	सिंचित	0.1518
				12/2	निजी	सिंचित	0.0860
				12/1/2	निजी	सिंचित	0.2226
				95//			
				3	निजी	सिंचित	0.0127
				7	निजी	सिंचित	0.0835
				6/1/2	निजी	सिंचित	0.0658
				6/2	निजी	सिंचित	0.2429
				15/1	निजी	सिंचित	0.1012
				15/2	निजी	सिंचित	0.1316
				16/1/1	निजी	सिंचित	0.0506
				16/2/1	निजी	सिंचित	0.0051
				101//			
				1/1	निजी	सिंचित	0.0304
				2/1	निजी	सिंचित	0.0455
				9/2	निजी	सिंचित	0.0582

1	2	3	4	5	6	7	8
				12/1	निजी	सिंचित	0.0734
				128//			
				17/1	निजी	सिंचित	0.1316
				गांव का कुल योग			**1.7457**
			(3) मयना	**61//**			
				23/2	निजी	सिंचित	0.1720
				24/2	निजी	सिंचित	0.0734
				72//			
				4	निजी	सिंचित	0.3744
				5/2	निजी	सिंचित	0.2353
				6	निजी	सिंचित	0.2858
				11	निजी	सिंचित	0.4046
				17	निजी	सिंचित	0.3844
				18	निजी	सिंचित	0.4046
				19/1	निजी	सिंचित	0.0253
				19/2	निजी	सिंचित	0.2428
				20	निजी	सिंचित	0.4046
				24/2	निजी	सिंचित	0.0303
				25	निजी	सिंचित	0.4046
				73//			
				1	निजी	सिंचित	0.0101
				10/2	निजी	सिंचित	0.2529
				12/1	निजी	सिंचित	0.0632
				83//			
				20/1	निजी	सिंचित	0.3869
				22	निजी	सिंचित	0.1821
				84//			
				7	निजी	सिंचित	0.2529
				8/1	निजी	सिंचित	0.0278
				14/2	निजी	सिंचित	0.1644
				15	निजी	सिंचित	0.3364
				16/1	निजी	सिंचित	0.1897
				21/1	निजी	सिंचित	0.0506
				गांव का कुल योग			**5.3593**

[फा. सं. भाराराप्रा/11013/1/2010-एलए/एचआरवाई/आरटीके/एनएच-10]

सुमेर सिंह गुलिया, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2010

S.O. 223(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section of 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 10including the bypass, on the stretch of the land from Km 30.00 to Km 86.500 (Bahadurgarh – Rohtak Section) in District Rohtak in the State of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the District Revenue Officer, Rohtak, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.30.00 to Km.86.500 (Bahadurgarh - Rohtak Section) of the National Highway No. 10 in District Rohtak in the State of Haryana

Serial number	Name of the district	Name of the tehsil	Name of the village	Khasra number	Type of land	Nature of land	Area (in hectare)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rohtak	Rohtak	**(1) Bhali Anandpur**	**23//**			
				3	Private	Irrigated	0.0025
				8	Private	Irrigated	0.0101
				24//			
				4	Private	Irrigated	0.0228
				16	Private	Irrigated	0.1272
				44//			
				18	Private	Irrigated	0.0076
				60//			
				15/2	Private	Irrigated	0.1822
				90//			
				15/2	Private	Irrigated	0.0633
				16/1	Private	Irrigated	0.1720
				16/2	Private	Irrigated	0.0228
				92//	Private	Irrigated	
				5	Private	Irrigated	0.0455
				Total Area of Village			**0.6559**
			(2) Bahu Akbarpur	**94//**			
				9/3	Private	Irrigated	0.0177
				10/1	Private	Irrigated	0.0101
				11/1/2	Private	Irrigated	0.0354
				20/1/2	Private	Irrigated	0.0961
				20/2/2	Private	Irrigated	0.0936
				21/1	Private	Irrigated	0.1518
				12/2	Private	Irrigated	0.0860
				12/1/2	Private	Irrigated	0.2226
				95//			
				3	Private	Irrigated	0.0127
				7	Private	Irrigated	0.0835
				6/1/2	Private	Irrigated	0.0658
				6/2	Private	Irrigated	0.2429
				15/1	Private	Irrigated	0.1012
				15/2	Private	Irrigated	0.1316
				16/1/1	Private	Irrigated	0.0506
				16/2/1	Private	Irrigated	0.0051
				101//			
				1/1	Private	Irrigated	0.0304
				2/1	Private	Irrigated	0.0455
				9/2	Private	Irrigated	0.0582
				12/1	Private	Irrigated	0.0734
				128//			
				17/1	Private	Irrigated	0.1316
				Total Area of Village			**1.7457**

359 GI/10-2

1	2	3	4	5	6	7	8
			(3) Mayana	**61//**			
				23/2	Private	Irrigated	0.1720
				24/2	Private	Irrigated	0.0734
				72//			
				4	Private	Irrigated	0.3744
				5/2	Private	Irrigated	0.2353
				6	Private	Irrigated	0.2858
				11	Private	Irrigated	0.4046
				17	Private	Irrigated	0.3844
				18	Private	Irrigated	0.4046
				19/1	Private	Irrigated	0.0253
				19/2	Private	Irrigated	0.2428
				20	Private	Irrigated	0.4046
				24/2	Private	Irrigated	0.0303
				25	Private	Irrigated	0.4046
				73//			
				1	Private	Irrigated	0.0101
				10/2	Private	Irrigated	0.2529
				12/1	Private	Irrigated	0.0632
				83//			
				20/1	Private	Irrigated	0.3869
				22	Private	Irrigated	0.1821
				84//			
				7	Private	Irrigated	0.2529
				8/1	Private	Irrigated	0.0278
				14/2	Private	Irrigated	0.1644
				15	Private	Irrigated	0.3364
				16/1	Private	Irrigated	0.1897
				21/1	Private	Irrigated	0.0506
				Total Area of Village			**5.3593**

[F. No. NHAI/11013/1/2010-LA/HRY/RTK/NH-10]

S. S. GULIA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2010/माघ 12, 1931
No. 39] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2010/MAGHA 12, 1931

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

अधिसूचना

एस. ए. एस. नगर, 20 जनवरी, 2010

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की सिनेट, राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 28 और 29 के अनुसरण में, मास्टर डिग्री, डॉ. ऑफ फिलोसाफी से संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्थापित अध्यापन पाठ्यक्रम, ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्रक्रियाओं, संदत्त की जाने वाली फीस, मूल्यांकन की पद्धति, विभिन्न समितियों की स्थापना, परीक्षक बोर्ड और डिग्रियों के अधि निर्णय को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित अध्यादेश (संशोधित) 2010 बनाती है और यह निर्देश देती है कि उक्त अध्यादेश किसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :—

अ. प्रवेशों के लिये पात्रता

(1) मास्टर्स कार्यक्रम : मास्टर ऑफ साइंस (फार्म); मास्टर ऑफ फार्मेसी; मास्टर ऑफ टेक्नोलोजी (फार्म); मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (फार्म)

	विभाग/डिसीप्लिन	योग्यता
शासी मंडल की 24 मार्च, 2007 को आयोजित 46वीं बैठक द्वारा संशोधित	मेडिसिनल कैमिस्ट्री	बी. फार्म.; एम.एस.सी. (ऑरगेनिक कैमिस्ट्री)
	नैचुरल प्रोडक्ट्स	बी. फार्म.; एम.एस.सी. (ऑरगेनिक कैमिस्ट्री)
	ट्रैडिशनल मैडिसिन	बी. फार्म.; बी.ए.एम.एस.; एम.एस.सी. (बोटनी)
	फॉर्मास्युटिकल एनालिसिस	बी. फार्म.; एम.एस.सी. (ऑरगेनिक/एनालिटिकल कैमिस्ट्री)
	फॉर्माकोलोजी एवं टॉक्सिकॉलोजी	बी. फार्म.; बी.वी.एस.सी./एम.बी.बी.एस.
	रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी	बी. फार्म./बी.वी.एस.सी./एम.एस.सी./फार्माकोलॉजी/ टॉक्सिकोलॉजी/लाईफ साईंसिस/बायोकैमिस्ट्री/मैडिकल बायोटैक्नोलॉजी/जूलॉजी); एम.बी.बी.एस.
	फार्मास्यूटिक्स	बी.फार्म.
	बायोटैक्नोलॉजी	बी.फार्म.; एम.एस.सी. (बायोलॉजिकल साइंसिस)
	फार्माकोइनफरमैटिक्स	बी.फार्म.; एम.एस.सी. (ऑरगेनिक/फिजिकल फार्मास्युटिकल कैमिस्ट्री). एम.एस.सी./बी.टेक.

		(बायोइनफरमैटिक्स); एम.एस.सी. (बायोकैमिस्ट्री/ बायोटैक्नोलॉजी/ मॉल्क्यिूलर बायोलॉजी/माइक्रोबायोलॉजी)
	फार्मेसी प्रैक्टिस	बी.फार्म.
	फार्मास्यूटिकल टैक्नोलॉजी (बायोटैक्नोलॉजी)	बी.फार्म.; एम.एस.सी. (लाईफ साईंसिस)
	फार्मास्यूटिकल टैक्नोलॉजी (फार्मयूलेशंस)	बी.फार्म.
	फार्मास्यूटिकल टैक्नोलॉजी (बल्क ड्रग्स)	बी. फार्म.; एम.एस.सी. (ऑरगेनिक कैमिस्ट्री); बी.टेक.(कैमिकल इंजीनियरिंग) या समतुल्य
	एम.बी.ए. (फार्म.)	बी.फार्म./ बी.टेक.(कैमिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य); एम.एस.सी. (कैमिकल/ लाईफ साईंसिस)

(2) पी.एच.डी. कार्यक्रमः

	विभाग/ डिसीप्लिन	**योग्यता**
	मेडिसिनल कैमिस्ट्री	एम.एस.(फार्म) (मेडिसिनल कैमिस्ट्री / नैचुरल प्रोडक्टस); एम. फार्म. (फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री);एम.टेक.(फार्म.) (बल्क ड्रग्स); एम.एस.सी. (ऑरगेनिक कैमिस्ट्री)
	नैचुरल प्रोडक्टस	एम.एस.(फार्म) (नैचुरल प्रोडक्टस/ मेडिसिनल कैमिस्ट्री/ ट्रैडिशनल मैडिसिन); एम.फार्म. (फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री/ फार्माकोग्नौसी); एम.टेक. (फार्म.) (बल्क ड्रग्स); एम.एस.सी. (ऑरगेनिक कैमिस्ट्री)
	फॉर्मास्युटिकल एनालिसिस	एम.एस.(फार्म) (फॉर्मास्युटिकल एनालिसिस) ; एम. फार्म. (फॉर्मास्युटिकल एनालिसिस); एम.एस.सी. (ऑरगेनिक / एनालिटिकल कैमिस्ट्री)
	फॉर्माकोलोजी एवं टॉक्सिकॉलोजी	एम.एस.(फार्म) (फॉर्माकोलोजी एवं टॉक्सिकॉलोजी/ बायोटैक्नोलॉजी/ रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी); एम. फार्म. (फॉर्माकोलोजी) ;एम.एस.सी. (फॉर्माकोलोजी/ टॉक्सिकॉलोजी/ जूलॉजी/ बायोकैमिस्ट्री/ मैडिकल बायोटैक्नोलॉजी/ माइक्रोबायोलॉजी); एम.डी. (फॉर्माकोलोजी); एम.वी.एस.सी.

		(फॉर्माकोलोजी/ पैथोलॉजी/ बायोटैक्नोलॉजी)
	फार्मास्यूटिक्स	एम.एस.(फार्म) (फार्मास्यूटिक्स/ बायोटैक्नोलॉजी/ फॉर्माकोलोजी); एम. फार्म. (फार्मास्यूटिक्स/ फार्मयूलेशंस); एम.टेक. (बायोमैडिकल इंजीनियरिंग/ बायोटैक्नोलॉजी/ कैमिकल इंजीनियरिंग)
	बायोटैक्नोलॉजी	(मेडिसिनल कैमिस्ट्री/ नैचुरल प्रोडक्टस/ फॉर्माकोलोजी एवं टॉक्सिकॉलोजी/ फार्मयूलेशंस/ बायोटैक्नोलॉजी/ फार्मास्यूटिक्स/ फार्माकोइनफरमैटिक्स/) में एम.एस.(फार्म) या एम. फार्म. या एम.टेक. (फार्म.); (बायोटैक्नोलॉजी/ लाईफ साईंसिस/ कॉम्प्यूटेशनल साईंसिस) में एम.ई. या एम. टेक.; बायोलॉजिकल साईंसिस (बायोटैक्नोलॉजी/ बायोकैमिस्ट्री/ बॉटनी/ जूलॉजी/ फिज़ियोलॉजी/ लाईफ साईंसिस) में एम.एस.सी. कैमिस्ट्री (आरगेनिक) में एम.एस.सी.; फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री में एम.एस.सी.; कॉम्प्यूटेशनल साईंसिस में एम.एस.सी.; एम. वी.एस.सी.; एम.सी.ए.
	फार्माकोइनफरमैटिक्स	एम.एस.(फार्म) (फार्माकोइनफरमैटिक्स/ मेडिसिनल कैमिस्ट्री/ नैचुरल प्रोडक्टस); एम. टेक.(फार्म.) (बल्क ड्रग्स); एम.एस.सी/एम. टेक. (बायोइनफरमैटिक्स); एम.एस.सी. (ऑरगेनिक/ फिज़िकल/ फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री/ बायोकैमिस्ट्री/ बायोफिज़िक्स/ बायोटैक्नोलॉजी/ माइक्रोबायोलॉजी)
	फार्मेसी प्रैक्टिस	एम. फार्म. (फार्मेसी प्रैक्टिस/ सामूदायिक फार्मेसी/ हॉस्पिटल फार्मेसी/ क्लीनिकल फार्मेसी)
	फार्मास्यूटिकल टैक्नोलॉजी (बायोटैक्नोलॉजी)	एम.एस.(फार्म); एम. फार्म.; एम.एस.सी. (लाईफ साईंसिस); एम.टेक.(फार्म.) (बायोटैक्नोलॉजी)
	फार्मास्यूटिकल टैक्नोलॉजी (फार्मयूलेशंस)	एम.एस.(फार्म) (फार्मास्यूटिक्स/ बायोटैक्नोलॉजी/ फॉर्मास्युटिकल एनालिसिस); एम. फार्म. (फार्मास्यूटिक्स/ फार्मयूलेशंस); एम.टेक.(फार्म.) (बायोटैक्नोलॉजी)
	फार्मास्यूटिकल टैक्नोलॉजी (बल्क ड्रग्स)	एम.एस.(फार्म); एम.टेक.(फार्म.); एम.एस.सी. (ऑरगेनिक कैमिस्ट्री)

सिनेट की 6 नवंबर, 2009 को आयोजित 13वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार	(अ)	न्यूनतम 60% अंकों सहित [कोई अन्य सुसंगत अर्हता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 55% और शारीरिक निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों के लिए 50%] या दस बिंदु के मापमान पर कोई न्यूनतम संचयी श्रेणी बिन्दु औसत का 6.75 [6.25 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 5.75 शारीरिक निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों के लिए] जहां कहीं अक्षर श्रेणियां अधिनिर्णीत की जाती हैं, अंक या समतुल्य, जैसा अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड द्वारा अवधारित किया गया है।
	(ब)	बी.वी.एस.सी/एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस./एम.वी.एस.सी/एम.डी. डिग्री धारकों के अलावा गेट/नेट मुख्य योग्यता निर्धारित की गई है।
	(द)	ए.आई.सी.टी.सी द्वारा संचालित किये जाने वाले कोई भी स्टैंड-बाई परीक्षा द्वारा फार्मेसी हेतु आवश्यक गेट की परीक्षा बदली जाती है।
ब	5	**प्रायोजित अभ्यर्थी–**
शासी मंडल की 24 मार्च 2007 को आयोजित 46वीं बैठक द्वारा संशोधित	(1)	जहां कहीं अंक अधिनिर्णित किए जाते हैं वहां योग्यता प्राप्त कुल न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों सहित या जहां कहीं अक्षर श्रेणियां या समतुल्य अधिनिर्णित की जाती हैं वहां 10 बिंदु मापमान पर 6.75 के न्यूनतम संचयी श्रेणी बिंदु औसत सहित, अध्ययन एवं अनुसंधान बोर्ड (बी.एस.आर.) द्वारा यथा अवधारित और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संस्थान द्वारा दी गई परीक्षा या साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के कार्यपालन को ध्यान में रखते हुए, मूल डिग्रियां धारण करने वाले लोक या प्राइवेट सेक्टर उपक्रमों, सरकारी विभागों, अनुसंधान और विकास संगठनों द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों के लिए सभी पाठ्यक्रमों में कुल सीटों में से 5 प्रतिशत सीटें उपलब्ध होंगी।
स	9	**आवेदनों की छंटनी–**
शासी मंडल की 24 मार्च 2007 को आयोजित 46वीं बैठक द्वारा हटाया गया	(3)	हटाया गया
द	19	**'आई' श्रेणी**
	(अ)	**निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र को आई-श्रेणी से पारितोषित किया जायेगा:–**
	(1)	संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र के अंतर्गत यदि कोई छात्र/छात्रा किसी कारणवश जिसमें आकस्मिक बीमारी या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और पाठ्यक्रम की सभी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। यदि कोई छात्र बीमारी या दुर्घटना के समय संस्थान से बाहर है, तो छात्र का चिकित्सा प्रमाणपत्र संबंधित ज़िले के उप प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के समतुल्य पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। संस्थान के पास उस आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा तथा इस संबंध में संकायाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

	(2)	यदि संबंधित पाठ्यक्रम समन्वयक केस की परिस्थितियों को सही मानता है तो (अ) के अनुसार उपरोक्त को अपना हाजिरी रिकार्ड प्रमाणित करवाना होगा तथा इस प्रमाणीकरण के आधार पर, संबंधित विभागाध्यक्ष इस केस को संकायाध्यक्ष के पास छात्र को आई ग्रेड दिलवाने के लिए सिफारिश करेगा। संकायाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत, अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना की एक प्रति सीनेट को पुष्टि के लिए दी जाएगी।
	(3)	यदि किसी छात्र की हाजिरी 75 प्रतिशत से अधिक है लेकिन वह पाठ्यक्रम की अंतिम छमाही परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उपरोक्त (अ) के अनुसार, छात्र को आई ग्रेड से पारितोषित किया जाएगा तथा उसे पाठ्यक्रम के अंतिम छमाही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी जिसमें वह अनुपस्थित था, तथा अगली छमाही में 10 दिनों के अंतिम दिन की मध्यावधि परीक्षा में जो कि छात्र के आवेदन के आधार पर कोर्स समन्वयक द्वारा उचित तरीके से प्रमाणित होगा तथा विभागाध्यक्ष द्वारा संकायाध्यक्ष को संस्तुति के लिए भेजा जाएगा।
	(4)	उपरोक्त (अ) में दिए गए कारणों के अनुसार यदि किसी छात्र की समेस्टर में हाजिरी 50 से 75 प्रतिशत के बीच होगी तो कोर्स समन्वयक विभागाध्यक्ष के परामर्श के अनुसार छात्र को उन विषयों पर नियत कार्य जिसमें वह अनुपस्थित था के ज़रिये अपनी हाज़िरी को पूरा करने की अनुमति देगा तथा उस नियत कार्य का रिकार्ड संभाल कर रखा जाएगा। संकायाध्यक्ष द्वारा छात्र को अनुमति दी जाएगी, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि छात्र ने अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए हाजिरी से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।
	(ब)	**मध्यावधि परीक्षाः**
		यदि कोई छात्र किसी कारणवश मध्यावधि परीक्षा में अनुपस्थित होता है तो, कोर्स समन्वयक छात्र को शून्य अंक प्रदान करेगा।
	(स)	**पूरक परीक्षाः**
	(1)	यदि छात्र को अधिकतम दो पाठ्यक्रमों में ई या एफ ग्रेड प्राप्त होता है तो, पैरा 18 के अनुसार छात्र को पूरक परीक्षा में बैठना ज़रूरी है। परीक्षा अगले समेस्टर से पहले मध्यावधि परीक्षा के 10 दिनों के अंतिम दिन के दौरान आयोजित की जाएगी।
	(2)	आई ग्रेड के अलावा दिए गए कारणों को छोड़कर, यदि किसी छात्र की हाजिरी 75 प्रतिशत या उससे अधिक है परंतु यदि वह किसी कारणवश पाठ्यक्रम की परीक्षा देने में असमर्थ है, तो छात्र को समेस्टर के अंतर्गत जब परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, तब आगामी वर्ष की अंतिम परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा। छात्र को दोबारा कक्षाएं लगाने की ज़रूरत नहीं होगी तथा वह अनुवर्ती समेस्टर का कोर्स/ व्याख्यान साथ-साथ में जारी रख सकता है।

	(3)	यदि किसी छात्र की हाजिरी 75 प्रतिशत से कम है तथा वह किसी कारणवश पाठ्यक्रम की परीक्षा देने में असमर्थ है, तो वह आगामी वर्ष में पाठ्यक्रम को दोहराएगा जब पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। छात्र कक्षाओं में तभी उपस्थित होगा, जब वह समेस्टर की सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा तथा दोबारा से मध्यावधि एवं अंतिम परीक्षा में उपस्थित होगा।
	(4)	यदि किसी छात्र की हाजिरी 50 प्रतिशत से नीचे है तो, आगामी वर्ष में छात्र को पाठ्यक्रम में दोबारा से उपस्थित होना पड़ेगा, समेस्टर में जब पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है।

प्रो. के. के. भूटानी, कार्यवाहक निदेशक

[विज्ञापन III/4/355-एस/09-असा.]

NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH

NOTIFICATION

S.A.S. Nagar, the 20th January, 2010

In pursuance of Sections 28 and 29 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 (13 of 1998), the Senate of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) hereby makes the following amendments in its Ordinance, regulating the courses of study offered by the Institute relating to the Degree of Masters' and Doctor of Philosophy, admission to such courses, procedures for admission, fees to be paid, method of evaluation, establishment of various committees, Board of examiners, and award of Degrees and henceforth shall be called as Ordinance (Amended) 2010 and directs that the said Ordinance shall come into force with effect from the date of its publication, namely:-

A. 4. Eligibility for Admissions

(1) Masters' Programme: Master of Science (Pharm.); Master of Pharmacy; Master of Technology (Pharm.); Master of Business Administration (Pharm.)

[Modified as per decision of 46th meeting of BOG held on 24th March, 2007]

Department/Discipline	Eligibility
Medicinal Chemistry	B.Pharm.; M.Sc.(Organic Chemistry)
Natural Products	B.Pharm.; M.Sc.(Organic Chemistry)
Traditional Medicine	B.Pharm.; B.A.M.S.; M.Sc.(Botany)
Pharmaceutical Analysis	B.Pharm.; M.Sc.(Organic/ Analytical Chemistry)
Pharmacology & Toxicology	B.Pharm.; B.V.Sc.; M.B.B.S.
Regulatory Toxicology	B.Pharm./ B.V.Sc./ M.Sc.(Pharmacology/ Toxicology/ Life Sciences/ Biochemistry/ Medical Biotechnology/Zoology); M.B.B.S.
Pharmaceutics	B.Pharm.
Biotechnology	B.Pharm.; M.Sc. (Biological Sciences)
Pharmacoinformatics	B.Pharm.; M.Sc.(Organic/Physical Pharmaceutical Chemistry); M.Sc./B.Tech. (Bioinformatics); M.Sc. (Biochemistry/ Biotechnology/ Molecular Biology/ Microbiology)
Pharmacy Practice	B.Pharm.
Pharmaceutical Technology (Biotechnology)	B.Pharm.; M.Sc. (Life Sciences)
Pharmaceutical Technology (Formulations)	B.Pharm.

Pharmaceutical Technology (Bulk Drugs)	B.Pharm; M.Sc.(Organic Chemistry); B.Tech.(Chemical Engineering) or equivalent
M.B.A (Pharm.)	B.Pharm./B.Tech. (Chem. Engg. Or Equivalent); M.Sc. (Chemical /Life Sciences)

(2) Ph.D. Programme

[Modified as per decision of 46th meeting of BOG held on 24th March, 2007]

Department/Discipline	**Eligibility**
Medicinal Chemistry	M.S.(Pharm.) (Medicinal Chemistry/Natural Products); M.Pharm.(Pharmaceutical Chemistry); M.Tech. (Pharm.) (Bulk Drugs); M.Sc. (Organic Chemistry)
Natural Products	M.S.(Pharm.) (Natural Products/ Medicinal Chemistry/ Traditional Medicines); M.Pharm. (Pharmaceutical Chemistry/ Pharmacognosy); M.Tech.(Pharm.) (Bulk Drugs); M.Sc. (Organic Chemistry)
Pharmaceutical Analysis	M.S.(Pharm.) (Pharmaceutical Analysis); M.Pharm. (Pharmaceutical Analysis); M.Sc. (Organic/ Analytical Chemistry)
Pharmacology & Toxicology	M.S.(Pharm.) (Pharmacology & Toxicology/ Biotechnology/ Regulatory Toxicology); M.Pharm. (Pharmacology); M.Sc. (Pharmacology/ Toxicology/ Zoology/ Biochemistry/ Medical Biotechnology/ Microbiology); M.D.(Pharmacology); M.V.Sc. (Pharmacology/ Pathology/ Biotechnology)
Pharmaceutics	M.S.(Pharm.) (Pharmaceutics/ Biotechnology/ Pharmacology); M.Pharm. (Pharmaceutics/ Formulations); M.Tech. (Biomedical Engineering/ Biotechnology/ Chemical Engineering)
Biotechnology	M.S.(Pharm.) or M.Pharm. or M.Tech. (Pharm.) in (Medicinal Chemistry/ Natural Products/ Pharmacology & Toxicology/ Formulation/ Biotechnology/ Pharmaceutics/ Pharmacoinformatics); M.E. or M.Tech. in (Biotechnology/ Life Sciences/ Computational Sciences); M.Sc. in Biological Sciences (Biotechnology/ Biochemistry/ Botany/ Zoology/ Physiology/ Life Sciences) M.Sc. in Chemistry (Organic) ; M.Sc. in Pharmaceutical Chemistry; M.Sc. in Computational Sciences; M.V.Sc.; MCA
Pharmacoinformatics	M.S.(Pharm.) {Pharmacoinformatics/ Medicinal Chemistry, / Natural Products}; M.Tech. (Pharm.) (Bulk Drugs); M.Sc./ M.Tech. (Bioinformatics); M.Sc. (Organic/ Physical/ Pharmaceutical Chemistry/ Biochemistry/ Biophysics/ Biotechnology/ Microbiology)

372 GI)10-3

Pharmacy Practice	M.Pharm. (Pharmacy Practice/ Community Pharmacy/ Hospital Pharmacy/ Clinical Pharmacy)
Pharmaceutical Technology (Biotechnology)	M.S.(Pharm.); M.Pharm.; M.Sc. (Life Sciences); M.Tech.(Pharm.)(Biotechnology)
Pharmaceutical Technology (Formulations)	M.S.(Pharm.) (Pharmaceutics/ Biotechnology/ Pharmaceutical Analysis); M.Pharm. (Pharmaceutics/ Formulations); M.Tech.(Pharm.)(Biotechnology)
Pharmaceutical Technology (Bulk Drugs)	M.S.(Pharm.); M.Tech. (Pharm.); M.Sc. (Organic Chemistry)

(a) A minimum of 60% marks [55% for Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribe (ST) and 50% for Physically handicapped (PH) candidates] or with a minimum Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 6.75 [6.25 for SC/ST and 5.75 for PH] on a 10-point scale (wherever letter grades are awarded) in the above qualifying degree or equivalent, as determined by the Board of Studies and Research (BSR).

(b) GATE/NET is essential qualification except for B.V.Sc/M.B.B.S/B.A.M.S/M.V.Sc/M.D degree holders.

[Inserted as per the decision of 13th meeting of Senate held on 6th November, 2009]

(c) GATE as applicable to Pharmacy will be replaced by whatsoever standby examination proposed to be conducted by AICTE.

B.

5. Sponsored Candidates-

[Modified as per the decision of 46th Meeting of BOG held on 24th March 2007]

(1) 5% of seats over and above the total number of seats in all programmes are available for candidates sponsored by Public or Private Sector undertakings, Government Departments, Research and Development Organisations etc. holding qualifying degree with a minimum of 60% marks in aggregate wherever marks are awarded or CGPA of 6.75 on a 10 point scale wherever grades are awarded or equivalent, as determined by the Board of Studies (BSR) and taking into consideration the performance of the candidates in the test and interview held by the Institute to the various programmes.

C.

9. Short listing of Applications-

[Deleted as per the decision of 46th Meeting of BOG held on 24th March 2007]

(3) Deleted

D.

19. 'I' Grade

(a) The I-Grade shall be awarded to a student under the following circumstances:-

[Revised as per the decision of 46th Meeting of BOG held on 24th March 2007]

(1) If a student fails to fulfil all the requirements of the course(s) because of his/her sudden illness or mishap/accident supported by Medical Certificate issued by Medical Officer of the Institute. However, if the student is outside the campus at the time of illness or mishap/accident, the Medical Certificate need to be issued by a Medical Officer of the rank of the Deputy Chief Medical Officer or above of the concerned district. The Institute reserves the right to accept or reject such an application and the decision of the Dean shall be final in this respect.

(2) The concerned course co-ordinator on being convinced about the circumstances of the case as per a) above should certify the attendance records and based on this certification, HOD concerned should recommend the case to the Dean for award of I-Grade to the student. After approval of the Dean, a notification will be issued. A copy of the notification will be endorsed to Senate.

(3) If a student has attendance above 75% in the course(s), but is unable to appear in End-semester examination in the course(s) for reasons given at a) above, the student shall be awarded I-grade and shall be permitted to appear in the End-Semester examination in course(s), in which he/she was absent, within 10 days of the last day of the Mid-term examination in the following semester on the basis of the application made by the student that is duly certified by the course coordinator and recommended by the Head of the Department to the Dean.

(4) If a student has attendance between 50% and 75% during the semester because of reasons specified at a) above, the course coordinator in consultation with the Head of the Department may permit the student to fulfil requirement of his/her attendance by giving assignments on topics not attended by the student and a record of the assignments shall be maintained. The student shall be permitted by the Dean, after ensuring that necessary formalities pertaining to attendance have been fulfilled by the student above to appear in the end-semester examination.

(b) **Mid-term Examination:**

If a student in case of any exigency or otherwise remains absent in the mid-term examination, the course coordinator shall assign 0 marks to the student.

(c) Supplementary Examination:

(1) If a student secures E or F grade(s) in not more than 2 courses, he/she shall be required to sit in a supplementary examination as per para 18. The examination will be held within 10 days of the last day of the Mid-term examination in the following semester.

(2) If a student has attendance of 75% or more but is unable to appear in examination in the course(s) for reasons other than those specified for awarding I-grade, the student shall be required to appear in the end-semester examination next year, in the semester when the examination for the course(s) is being offered. The student shall not be required to attend the classes afresh and can simultaneously pursue course(s)/dissertation of the subsequent semester(s).

(3) If a student has attendance of less than 75% and fails to appear in the examination in course(s), he/she will be required to repeat the course(s), next year, in the semester when the course(s) is being offered. The student shall attend classes, complete all requirements of the semester, appear in mid-term and end-semester examination afresh.

(4) If the attendance of the student has fallen below 50%, the course(s) need to be repeated next year, in the semester when the course(s) and examination is/are being offered, as detailed above.

Prof. K. K. BHUTANI, Director (Offg.)

[ADVT. III/4/355-S/09-Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.